महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी
पुराना जकात घर, विकास विभाग इमारत, दूसरी मंजिल, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-४०० ००१
इमेल: mhhindiacademy@gmail.com दुरभाष : ०२२- २२६७ २५३९.

ब)पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना :

योजना का उद्दिष्ट :

सिंधी भाषा में दर्जापूर्ण लेखन को बढावा देना तथा सिंधी साहित्यकारों की कृतियों को प्रकाशित करना और साहित्य सृजनशील पाठकवर्ग तक लेकर जाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है।

योजना स्वरुप, और नियम :

- साहित्यकारों को अकादमी कार्यालय में पूर्णत: तपशील आवेदनपत्र के साथ साहित्यकृति की २ प्रतियां स्वच्छ हस्तलिखित/ टंकणित रुप में भेजना आवश्यक है ।
- साहित्यकारों को पुस्तक के प्रकाशन के लिए अनुमानित अंदाज खर्च का विवरण (Estimate) आवेदनपत्र के साथ जोडना आवश्यक है ।
- चुनी हुई हस्तलिखीत साहित्यकृति के प्रकाशन की व्यवस्था लेखक को खुद करनी होगी अथवा प्रकाशन संस्थाव्दारा पुस्तक छपवाने की प्रक्रिया करवानी होगी। प्रकाशन की अवधि प्रकाशन संस्थाव्दारा प्रमाणित करके अवेदन पत्र के साथ जोडना आवश्यक है।
- पुस्तक प्रकाशन अनुदान प्रदान करने के बाद पुस्तक का प्रकाशन निर्धारित समय में आवश्यक है ।
- साहित्यकृति प्रकाशित होने के बाद उसकी २५ प्रतियां विनामूल्य अकादमी को देना आवश्यक है ।
- साहित्यिक कृति का प्रकाशन करते समय पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर निम्नलिखित संदेश सिंधी भाषा में प्रकाशीत करना अनिवार्य है ।

इस किताब का प्रकाशन महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के 'पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना 'के तहत प्राप्त अनुदान के सहयोग से प्रकाशीत की जा रही है ।

- साहित्यकार / लेखक की साहित्यकृति को एकबार अनुदान प्राप्त होने के उपरांत अगले ५ साल के लिए उसी लेखक को पुस्तक प्रकाशन का अनुदान नहीं दिया जाएगा ।

पात्रता :

- महाराष्ट्र राज्य में १५ साल से निवास कर रहे सिंधी साहित्यकार पात्र होंगे। (१५ साल का अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक है ।) और उनकी १ पुस्तक को अनुदान प्रदान किया जाएगा।

- शासन की इस योजनांतर्गत एक बार लाभ मिलने पर साहित्यकार को अगले ५ साल तक इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।
- इस योजनातंर्गत प्रकाशित होनेवाली किताब को किसी भी निजी संस्था, राज्यशासन और केंद्र सरकार का कोई भी अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा ।
- यह अनुदान केवल मूल(Original) साहित्यकृति को ही मिलेगा । पुन:मुद्रण अथवा बाद में प्रकाशित कृति को अनुदान नहीं मिलेगा ।
- साहित्य क्षेत्र में निम्नलिखीत वाङ्मय प्रकार इस योजना के लिए पात्र होंगे ।
  - कविता , नवलकथा, लघुकथा, नाटक/ एकांकिका, ललित और बालसाहित्य आदि।

<u>अनुदान का स्वरुप :</u>

- अकादमी की समितिव्दारा जिस साहित्यकृति को अनुदान मंजूर हुआ हो, उस साहित्यकृति के प्रकाशन के लिए साहित्यकार व्दारा जोडे हुए अनुमानित खर्च में उल्लेखित खर्च की ५०% राशि अथवा रु. २०,०००/- इसमें जो राशि कम रहेगी वह राशि अनुदान के स्वरुप में प्रदान की जाएगी ।